Seventeenth Loksabha

p>

Title: Regarding the creation of National Scrap Policy for the disposal of the material seized by the police in various cases .

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मेरा विषय राष्ट्रीय हित से संबंधित है । मैं पढ़ कर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहूंगा । मैं एक मिनट ज्यादा बोलने की अनुमति चाहूंगा ।

सभापति महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न थानों में विभिन्न मुकदमों के तहत जो सामान जब्त किए जाते हैं, चाहे वह लोहा हो, सीमेंट हो, खाद्य पदार्थ हो या गाड़ियां हों, मुकदमे सालों-साल चलते हैं, लेकिन जिस समय वे सामान जब्त होते हैं, उस समय उनकी कीमत कुछ और होती है । अगर उस समय उनकी कीमत लाखों में है और जब तक मुकदमों का निपटान होता है, तब तक उनकी कीमत हजारों में भी नहीं रह जाती है । ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं, जैसे लोग पुरानी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं । वे जगह भी घेरती हैं । मैंने मुबंई में देखा है कि जगह की कमी के कारण वहां लोगों ने गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां रखी हैं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो सामान जब्त हो कर, सीज़ हो कर, मुकदमे के तहत एक्ज़िबिट हैं, जिनके ऊपर मुकदमा है, उनसे सामान के बदले में राशि जमा करवा कर, उस सामान को रिलीज किया जाना चाहिए । अगर वे सब सामान सड़ते हैं, बर्बाद होते हैं, तो वह राष्ट्रीय क्षति है, नेशनल लॉस है, यह किसी की व्यक्तिगत क्षति नहीं है । लोगों ने जो पुरानी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी कर रखी हैं, उसके लिए भारत सरकार एक नेशनल स्क्रैप पॉलिसी बनाए, ताकि राष्ट्रीय क्षति न हो । धन्यवाद